

बिहार सरकार,
भवन निर्माण विभाग।

प्रेषक,

ई० सुरेश प्रसाद प्रभाकर,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
पटना पश्चिम भवन प्रमंडल, दानापुर।

पटना, दिनांक:-.....

विषय:- **Permission related to Summer Internship/Industrial Training** दिनांक:- 19.06.2026 से 18.07.2026 तक में भाग लेने के संबंध में।

प्रसंग:- NETAJI SUBHAS INSTITUTE OF POLYTECHNIC, AMHARA, BIHTA, PATNA LETTER NO.- 120/26, 123/26, 124/26 Dated- 05.06.2026

महाशय,

NETAJI SUBHAS INSTITUTE OF POLYTECHNIC, AMHARA, BIHTA, PATNA द्वारा 03 (तीन) छात्र/छात्राओं (Diploma in Civil Engg.) को Summer Internship/Industrial Training कराने हेतु प्राप्त आवेदनों के आलोक में उक्त छात्र/छात्राओं को अपने प्रमंडल के अन्तर्गत चल Projects से जोड़कर नियमानुसार प्रशिक्षण दिए जाने संबंधी कार्रवाई की जाए।

S.No.	Name of Student	Roll No, PAR & Registration	Name of College	Reference No.& Date	Alloted
1.	KHUSHI PANDEY	89245023	NETAJI SUBHAS INSTITUTE OF POLYTECHNIC, AMHARA, BIHTA, PATNA	पत्रांक- 120/26 दिनांक- 05.06.2026	Office of the Executive Engineer, Patna West Building Division, Danapur.
2.	TRIPTI KUMARI	89245019	NETAJI SUBHAS INSTITUTE OF POLYTECHNIC, AMHARA, BIHTA, PATNA	पत्रांक- 123/26 दिनांक- 05.06.2026	Office of the Executive Engineer, Patna West Building Division, Danapur.
3.	SANDHYA KUMARI	89245046	NETAJI SUBHAS INSTITUTE OF POLYTECHNIC, AMHARA, BIHTA, PATNA	पत्रांक- 124/26 दिनांक- 05.06.2026	Office of the Executive Engineer, Patna West Building Division, Danapur.

प्रशिक्षण हेतु आवश्यक बिन्दु:-

1. कार्यपालक अभियंता प्रशिक्षु छात्र/छात्राओं का पहचान पत्र एवं अंक पत्र सत्यापन के पश्चात् प्रशिक्षण करायेगें।

2. छात्र/छात्राओं को योगदान करने एवं आने-जाने हेतु किसी भी प्रकार का टी0ए0/डी0ए0 का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा इन्हे नियमित कर्मियों की भाँति अन्य कोई सुविधाएँ एवं भत्ता देय नहीं होगा।

3. छात्र/छात्राओं द्वारा प्रशिक्षण के दौरान सुरक्षा के सभी मानकों को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की हानि एवं दुर्घटना होने की स्थिति में विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

4. छात्र/छात्राओं के ऊपर प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का आरोप/अनियमितता/दुर्व्यवहार की स्थिति में उन्हें प्रशिक्षण से तत्काल निष्कासित करते हुये संबंधित शैक्षणिक संस्थान को सूचित किया जायेगा।

5. प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात् विभाग में नियमित अथवा संविदा नियुक्ति हेतु किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। यदपि संबंधित प्रशिक्षुओं को एक प्रमाण-पत्र संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा निर्गत किया जा सकेगा।

6. उक्त सभी प्रशिक्षु छात्र/छात्राओं दिनांक:- 19.06.2026 से 18.07.2026 तक Summer Internship /Industrial Training में ससमय भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।

अनु0:- यथोक्त अनुरोध पत्र की प्रति।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-.....

पटना, दिनांक:-.....

प्रतिलिपि:- निदेशक (अनुश्रवण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

ह0/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-.....5440(1)

पटना, दिनांक:-.....15/6/26

प्रतिलिपि:-आई0टी0मनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।